न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 54/2021 **(जी सी एम एस नम्बर 2021/125)**
उनवानी प्रकरण :–

1–निहालसिंह । पुत्रगण रामस्वरूप जातिगण नाई, निवासीगण ग्राम सरकना
2–हाकिमसिंह । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ————————**अपीलान्टास**

बनाम्

1–तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–टुण्डा । पुत्रगण । समस्त जातिगण नाई
3–कंचन । ।
4–राजन–" फोत " । रामस्वरूप । निवासीगण ग्राम सरकना
5–पुष्पा । पुत्रीयान ।
6–रज्जो । । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–जलदेवी । रामस्वरूप ।

————————**रेस्पोडेण्टस**

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम
विरूद्व नामान्तकरण संख्या 794 बॉके ग्राम
सरकना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे
रेस्पोडेण्ट सं0–1 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।
रेस्पोडेण्ड सं02,3,5लगा07 की ओर से :–श्री कमलसिंह एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 21.02.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजीयात मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या–794 बांके ग्राम सरकना के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस एवं रेस्पोटेन्टस संख्या 2 लगा0 7 के पिता रामस्वरूप पुत्र दौलतराम जाति नाई निवासी ग्राम सरकना थे। रामस्वरूप की मृत्यु के पश्चात मृतक

—2—

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

रामस्वरूप की विरासत का नामान्तकरण संख्या–794 दर्ज किया गया उपरोक्त नामान्तकरण दर्ज करते समय राजंस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच पडताल किये नामान्तकरण पंजिका में अपीलालांटस का नाम क्रमशः निहालसिंह के स्थान पर ढालू एंव हाकिमसिंह के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया है और बिना अपीलांटस को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये तहत नामान्तकरण आदेश पारित किया है। अपीलान्टस अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस के नामों की किसी प्रकार कोई जांच पडताल नहीं की और अपीलांटस के वास्तविक क्रमशः निहालसिंह के स्थान पर ढालू एवं हाकिमसिंह के स्थान पर पप्पू नामान्तकरण पंजिका में दर्ज कर दिया जो कि असलियत के सर्वथा विपरीत होने के कारण काबिल दुरूस्ती के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश अपीलांटस की वैक पर अपीलांटस को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है जो कानून की दृष्टि से काबिल दुरूस्ती के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान अपीलांटस को सर्वप्रथम हल्का पटवारी से दिनांक 8.9.2020 को हुआ तत्पश्चात अपीलांटस ने अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र जिला भू–अभिलेखागार धौलपुर में दिनांक 9.9.2020 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलांटस को दिनांक 14.9.2020 को प्राप्त हुई। अपीलान्टस ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसको न्यायहित में अन्दर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 बॉके ग्राम सरकना तहसील सैपऊ पर दर्ज अपीलांटस के नाम क्रमशः ढालू के स्थान पर निहालसिंह एवं पप्पू के स्थान पर हाकिमसिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 794 बॉके ग्राम सरकना, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कौलारी निहालसिंह एवं हाकिमसिंह, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 123,65,66,25,64 ग्राम सरकना सम्बत 2076–79, छाया प्रति वोटर आईडी हाकिमसिंह, छायाप्रति आधार कार्ड निहालसिंह पुत्र रामस्वरूप पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 एवं 5लगा07 की ओर से श्री कमलसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुकः निहालसिंह वगैरा बनाम
तहसीलदार सैपऊ व अन्य
अपील संख्या 54/2021

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण का ज्ञान अपीलान्टस को सर्वप्रथम पटवारी हल्का से दिनांक 8.9.2020 को हुआ तत्पश्चात अपीलांटस ने अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र जिला भू–अभिलेखागार धौलपुर में दिनांक 9.9.2020 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलांटस को दिनांक 14.9.2020 को प्राप्त हुई। *जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्टस अन्दर म्याद मानी जाती है।*

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रामस्वरूप की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या–794 दर्ज किया गया उपरोक्त नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच पडताल किये नामान्तकरण पंजिका में अपीलालांटस का नाम क्रमशः निहालसिंह के स्थान पर ढालू एंव हाकिमसिंह के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया है और बिना अपीलांटस को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये तहत नामान्तकरण आदेश पारित किया है। उक्त नामान्तकरण अपीलान्टस के घरेलू नाम दर्ज कर दिये है जबकि आधार कार्ड में में निहालसिंह एवं बोटरआईडी कार्ड में हाकिमसिंह के नाम से है जिसकी फोटो प्रति पेश की है। उक्त नामान्तकरण में अपीलान्टस के वास्तविक सही नामों की दुरूस्ती की जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान अनापत्ति प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर अपील में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुये कथन किया कि उपरोक्त नामान्तकरण में अपीलांटस के धरेलू नाम दर्ज है, इनके वास्तविक नाम पप्पू का हाकिमसिंह है एवं ढालू का नाम निहालसिंह नाम सही है। अपील में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार किया तथा अपील को स्वीकार किये जाने में उन्होने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण में तहसीलदार सैपऊ को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनकी रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/21/450 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की जो सामिल पत्रावली की गई।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुकः निहालसिंह वगैरा बनाम
तहसीलदार सैपऊ व अन्य
अपील संख्या 54/2021

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्टस का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 बांके ग्राम सरकना तहसील सैपऊ दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस के नामों की किसी प्रकार कोई जांच पडताल नहीं की और अपीलांटस के वास्तविक क्रमशः निहालसिंह के स्थान पर ढालू एवं हाकिमसिंह के स्थान पर पप्पू नामान्तकरण पंजिका में दर्ज कर दिया जो कि असलियत के सर्वथा विपरीत होने के कारण काबिल दुरूस्ती के है। इस सम्बध में तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रस्तुत पत्र के साथ नायव तहसीलदार बसईनबाव का जबाव एवं मौका पर्चा का अवलोकन किया जिसमें यह अंकित किया गया है कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताये अनुसार एवं अपीलान्टस के परिजनों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार अपीलान्टस के वास्तविक नाम निहालसिंह पुत्र रामस्वरूप व हाकिमसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति नाई सा. सरकना है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि निहालसिंह को ढालू एवं हाकिमसिंह को पप्पू के नाम से भी जाना जाता था जबकि ढालू के सभी दस्तावेज निहालसिंह एवं पप्पू के सभी दस्तावेज हाकिमसिंह के नाम से बने हुए है। साक्ष्य के रूप में परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं राशनकार्ड, पैनकार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। इसप्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 794 बॉके ग्राम सरकना तहसील सैपऊ पर दर्ज अपीलान्टस के नाम क्रमशः ढालू के स्थान पर निहालसिंह एवं पप्पू के स्थान पर हाकिमसिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर